

**झारखण्ड सरकार  
उद्योग निदेशालय**

**मेगा औद्योगिक इकाइयों के लिए सूचना**

झारखण्ड औद्योगिक नीति-2001 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैसी मेगा इकाइयों, जो इस नीति के अन्तर्गत वास्तविक वाणिज्यकर के भुगतान के विरुद्ध पूंजीगत अनुदान की पात्रता रखती हों, को यह सूचित किया जाता है कि वास्तविक वाणिज्यकर के भुगतान के विरुद्ध पूंजीगत अनुदान के लिए वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं आगे के वर्षों के अनुदान के आवेदन समर्पित करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण किया गया है। उक्त से संबंधित आवेदन समर्पित करने की समय-सीमा वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद 6 माह यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक संकल्प संख्या 2408 दिनांक 26.10.2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त सूचनाओं के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा। विलंब से प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

संकल्प की प्रति विभाग के वेबसाइट [www.jharkhandindustry.gov.in](http://www.jharkhandindustry.gov.in) से down load किया जा सकता है।

उप उद्योग निदेशक,  
झारखण्ड, राँची।